करतब दिखाने वाले पशु (रजिस्ट्रीकरण) संशोधन नियम, 2001

सांख्यकीय एवं कार्यक्रम नियंत्रण मंत्रालय

असाधारण

नई दिल्ली, 8 जनवरी 2002

का.आ.35 (ई) – करतब दिखाने वाले पशु (रजिस्ट्रीकरण) संशोधन नियम, 2001 का प्रारूप, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.आ. 1044 (अ) तारीख 17 अक्तूबर, 2001 के अधीन भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 17 अक्तूबर, 2001 के अधीन प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की जाती हैं, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, 30 दिन की अवधि के अवसान से पूर्व, आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 17 अक्तूबर 2001 को उपलब्ध कर दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार को प्रारूप नियमों की बाबत जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 (1960 का 59) की उपधारा (1) और उपधारा (2)धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. (1) यह नियम करतब दिखाने वाले पशु (रजिस्ट्रीकरण) संशोधन नियम, 2001 के नाम से जाना जायेगा।

   (2) सास्कीय राजपत्र में प्रकाशन के बाद की तिथि के उपरान्त ही प्रयोग में लाया जायेगा।

2. करतब दिखाने वाले पशु (रजिस्ट्रीकरण) संशोधन नियम, 2001 (इसके बाद इस नियम के नाम से जाना जायेगा), नियम 2, उपखण्ड (जी), निम्नलिखित उपखण्ड के उपायों के रूप में जाना जायेगा

   (जी) 'विहित प्राधिकारी' का अभिप्राय केन्द्र सरकार या ऐसे अन्य अधिकारी जो बोर्ड या राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के द्वारा प्राधीकृत किये जाय।

3. नियम 3, उपनियम (1) के अधीन यह कहा गया है, निम्नलिखित उपायों को जोड़ा जायेगा जैसे :–
   "घोड़ों की दौड़ जिससे उनके मालिकों के द्वारा ट्रफ् अथारिटी के द्वारा पंजीकृत कर दिया गया है, ऐसे पंजीकरण को विहित प्राधिकारी के द्वारा सूचित किये जाने पर, इस नियम के तहत पंजीकरण प्रस्तुत करना होगा तथा सामान्य शर्तों के अनुसार विशेष नियम 8 के तहत पंजीकृत होना चाहिए, बशर्ते अन्य शर्तें पूरी हो रही हो तो भी शर्तों मे छूट कर सकता है"

4. नियम 8 के उपतनयम (1) में यह भी बताया गया है –

   ए. प्रयुक्त शब्द 'गा' को 'सकता' मे परिवर्तित किया जा सकता है।

   बी. धारा (xvii)

(i). एक 'हवा युक्त गद्दा' शब्द का निष्काशन किया जायेगा

(ii).दृष्य के लिए तथा 'तीन बार' शब्द जगह पर 'आठ बार' का प्रयोग किया जायेगा

(iii).उप–धारा (डी) के बाद, निम्न उप–धारा का समावेश किया जायेगा जैसे –

(ई)'प्रत्येक घोड़े को तत्कालित तौर पर घुड़दौड़ के बाद तथा छः घण्टे के तुरन्त बाद लेकिन धुड़दौड़ के आठ घण्टे के अन्दर पशु चिकित्सकीय जांच के द्वारा गुजरना चाहिए ताकि कोई चोट लगी हो पहचान हो सकें।'

(एफ)घोड़ों को 12फीट x 12फीट के मापवाले अस्तबल मे प्रयाप्त सुविधा के साथ रखना होगा ताकि उन्हे तापमान एवं वातावरणीय परिस्थितियों में आराम दायक सिद्ध हो सके और उचित हवादार एवं संरक्षण का महौल मिले।'

(iv)अंत में निम्नलिखित उपायों को जोड़ा जायेगा, जैसे –

'घुड़दौड़ के समय में अधिक से अधिक आठ कोड़े लगाने की मामला, विहित प्राधिकारी के विचार विमर्श से टर्फ अधिकारियों के द्वारा सुनिश्चित किया गया । किसी कारण, दुर्घटनाग्रस्त हाने से यदि घुड़ सवार या घोड़े को बचाने का कार्य होता है तो इस अधिनियम के तहत उठाये गये कदम के अधीन होगा।'

(सी) धारा (xx), के अंत में

निम्नलिखित को जोड़ा जायेगा जैसे–

'यथा सम्भव स्टीरायड् का प्रयोग मनाही रहेगा, स्टीरायड् का प्रयोग यदी किन्ही कारणों से पाया गया और पशु चिकित्सक के नूस्खे में दर्शित पाया गया और खरीदने की पुष्टि की गयी तो उसे विश्वसनीय सूत्रों से पुष्ट करना होगा' ।

(डी) धारा (xxiv) में निम्नलिखित नये धाराओं का समावेश होगा जैसे–

'(xxiv) यदि किसी व्यक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए घोड़ों को ले जाना ले आना हो तो यात्रा के दौरान घोड़ों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित मापदण्डों को सुनिश्चित करना होगा जैसे –

(ए) घोड़े को ले जाते समय बांधना नहीं होगा ताकि सिर और गर्दन का घुमाव अप्राकृतिक ढंग से मुड़ने या घुमने की स्थिति न पैदा हो।

(बी) घोड़े को पर्याप्त पानी पिलाने और आराम देने के व्यवस्था प्रदान करने के लिए प्रत्येक चार घंटे का अवधि चाहिए और उन्हे उचित राशन देकर यात्रा को आठ घंटों से अधिक नहीं बढाना होगा।

(सी) यातायात के दौरान पर्याप्त हवादार एवं भली प्रकार स्वांस लेने की व्यवस्था होनी चाहिए।

(डी) वाहन के तल पर रबर का की चटाई बिछाया जाना चाहिए तथा पुआल का प्रयोग भी किया जा सकता है।

(इ) घोड़ों के लिए यातायात की अवधि चौबीस घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(एफ)छः घंटे से अधिक की यात्रा कराया जाने पर घोड़ों को घुड़दौर में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, या तो चौबीस घंटा पूरा होने पर आराम देना होगा।

[एफ.एन.1/7/2001 – डी.ए.डब्ल्यू.(पं.)]
आर. दत्ता, संयुक्त सचिव

फुट्ट नोटः मुख्य नियम का प्रकाश एस.ओ.267(इ) दिनांक. 26 मार्च 2001 से उद्घृत